भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1962

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

गड्ढों के कारण सड़क दुर्घटनाएं

1962. श्री अ. मनि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु, विशेषकर धर्मपुरी जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु, विशेषकर धर्मपुरी में सूचित उक्त दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या धर्मपुरी सहित तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों पर गड्ढों के कारण प्रभावित दुर्घटना पीड़ितों को कोई मुआवजा प्रदान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेषकर धर्मपुरी खंड पर गड्ढों की नियमित निगरानी और पहचान करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021 से 2024 के दौरान गड्ढों के कारण तमिलनाडु राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या नीचे दी गई है: -

तमिलनाडु राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	
वर्ष	सड़क दुर्घटनाएं
2021	459
2022	446
2023	620
2024	360

डाटा के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं कई कारणों से होती हैं जैसे कि अत्यंत तेज गति, मोबाइल फोन का उपयोग, शराब पीकर गाड़ी चलाना और शराब और ड्रग्स लेना, गलत साइड/लेन में गाड़ी चलाने में अनुशासनहीनता, रेड लाइट जंप करना, हेलमेट और सीट बेल्ट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करना, वाहन की स्थिति, मौसम की स्थिति, सड़क की हालत, आदि।

(ग) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार केंद्र सरकार हिट और रन मोटर दुर्घटनाओं से होने वाले मौत के लिए मुआवजा प्रदान करती है। तदनुसार, सरकार द्वारा दिनांक 25 फरवरी 2022

के सा.का.नि 163(अ) के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीडितों के लिए मुआवज़ा योजना, 2022 को अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को दो लाख रुपये की निश्चित राशि प्रदान की जाती है। योजना दिशानिर्देशों में गंभीर चोट के मामले में पचास हजार रुपये की राशि का मुआवजा प्रदान करने का भी प्रावधान है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के अनुसार, सरकार ने दिनांक 5 मई, 2025 को सड़क दुर्घटना पीड़ित योजना, 2025 के कैशलेस उपचार को अधिसूचित किया है। प्रक्रिया प्रवाह, हितधारक-वार मानक संचालन प्रक्रियाओं और स्पष्ट रूप से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों सहित विस्तृत दिशानिर्देश भी 4 जून, 2025 को अधिसूचित किए गए हैं। इस योजना के तहत, सड़क दुर्घटना पीड़ितों को प्रति दुर्घटना 1.5 लाख रुपये तक के दुर्घटना कैशलेस उपचार का अधिकार है, जो दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि तक होगा।

(घ) फील्ड अधिकारियों द्वारा परियोजना खंडों के नियमित निरीक्षण के दौरान गड्ढों की पहचान की जाती है। इसके अलावा, ड्रोन सर्वेक्षण और नेटवर्क सर्वेक्षण वाहनों की मदद से गड्ढों की भी पहचान की जाती है। सड़क प्रयोक्ताओं से, विशेष रूप से 'राजमार्गयात्रा ऐप' के माध्यम से इनपुट को भी संज्ञान में लिया जाता है।

*****